न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

स्पेशल एससी/एसटी वाद संख्या–141/2019

आदेश

04.09.2025 :–अभिलेख आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 13.05.2025 को द0प्र0सं0 की धारा 311 के अधीन इस आशय का आवेदन दिया गया है कि अभी तक न्यायालयी प्रक्रिया का तामिला न होने के कारण एवं सूचक के बाहर रहने के कारण मामले में साक्ष्य नहीं हो पाया है जिस कारण से अन्याय होने की संभावना है। अतः उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन का विरोध किया गया, परंतु इस बात के लिए सहमत हैं कि न्यायालयी का प्रक्रिया का कोई भी तामिला अभिलेख में संलग्न नहीं है। अतः इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सूचक को केस के बारे में जानकारी न रही हो, फिर भी वे न्यायालय से इस बात की प्रार्थना किये हैं कि प्रत्येक अभियुक्त का मौलिक अधिकार है कि मामले में त्वरित विचारण हो, इसलिए यदि अभियोजन को अतिरिक्त अवसर दिया जाता है तो असीमित अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यह निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि कितनी तिथियों के अंदर अभियोजन अपना संपूर्ण साक्ष्य पेश कर देना चाहता है। इस उत्तर में अभियोजन द्वारा प्राईवेट साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पांच तिथि की मांग की गयी, इसका विरोध बचाव पक्ष द्वारा भी नहीं किया गया। अतः अभियोजन का आवेदन इस सीमा के साथ स्वीकार किया जाता है कि वे आज से पांच तिथियों के भीतर सभी प्राईवेट साक्षियों का साक्ष्य करा लेंगे और उसके तत्काल पश्चात चिकित्सक साक्षी एवं अनुसंधानकर्ता को भी न्यायालय में साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने के लिए पूर्व से ही तैयार रहेंगे।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया